एस. सी. के.

एस. पी. गोयल, जस्टिस के सामने

दलीप कौर और अन्य,

–याचिकाकर्ता

विरुद्ध

हरबंस सिंह

–उत्तरदाता

सिविल संशोधन संख्या 1702/1986

15 मई, 1987

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 की V)–आदेश XXI, नियम 32– निर्धारित निर्धारण का अवहेलन जो निर्धारण-कर्ता और तीसरे पक्ष द्वारा अनाजता हो– उस नियम के तहत तीसरे पक्ष के खिलाफ प्रक्रिया–निर्धारित निर्धारण के अवहेलन में की गई बिक्री–ऐसी बिक्री को रद्द करना–निष्पादन अदालत का अधिकार।

निर्धारित है की नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21, नियम 32 के अन्तर्गत प्रक्रिया निष्पादन प्रक्रियाएँ होती हैं और संपत्ति का अटैचमेंट या नागरिक जेल में रोक आदेश केवल निर्धारित निर्धारणकर्ता के खिलाफ ही दिया जा सकता है और तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं। इसी नियम के अन्तर्गत किसी भी निर्धारित निर्धारण को रद्द करने का कोई अधिकार भी नहीं है जो निर्धारण-कर्ता द्वारा निर्धारित निर्धारण-का अनाजता हो।

(पैरा 2)

सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत श्री एल.एन. मित्तल, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र की न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका, जो 3 मार्च, 1986 को दिनांकित है, दर्ज की गई है। इस आदेश में 8 अप्रैल, 1983 को तिथि दिनांकित बिक्री दस्तावेज को निरस्त करने का आदेश है, जो 11 अप्रैल,

1983 को पंजीकृत हुआ था, और घोषित किया गया है कि यह दस्तावेज याचक के अधिकारों के विपरीत कोई प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरी बात, अनुशासन भी देना होगा उत्तरदाताओं 1, 2 और 6 को नियम 21, नियम 32 के तहत। सी.पी.सी., द्वारा निर्देशित किया गया है कि उत्तरदाता संख्या 6 की वेतन जोड़ा जाए। और यह भी निर्देशित किया गया है कि मुकदमा की जमीन भी संलग्न की जाए। उत्तरदाता संख्या 1 और 2 की अन्य संपत्ति भी संलग्न की जाए जब संपत्ति की सूची दाखिल की जाएगी और उत्तरदाताओं संख्या 1, 2 और 6 को नागरिक जेल में निर्देशित करने का आदेश दिया जाए। और उत्तरदाताओं संख्या 3 से 5 और 7 के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है।

S. पी. शर्मा, वकील, याचिकाकर्ताओं के लिए।

नेमो, प्रतिवादी के लिए।

न्याय

श्री एस. पी. गोयल, न्यायाधीश।

1. हरिहरबंस सिंह, प्रतिवादी 2, द्वारा 25 मार्च, 1982 को स्मृति दालिप कौर याचिकाकर्ता संग 30 कनाल, 9 मारले की भूमि के बिक्री के लिए एक समझौते में प्रवेश किया, जिसके अनुसार वे अंत में 55,000 रुपये के विचार से बिक्री की। उसने उस भूमि को बेचने से रोकने के लिए स्थायी प्रतिबंध की एक मामले में मुकदमा दायर किया जिसमें 21 जनवरी, 1983 को सहमति निर्णय पारित हुआ। फिर भी याचिकाकर्ता संख्या 1 ने उस भूमि को बेच दिया और 4 अगस्त, 1983 को उसके पक्ष में बिक्री पत्र जारी किया। जब यह दस्तावेज सब-रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया तो हरबंस सिंह वहां पहुंचे और उसे निर्णय की सूचना दी। फिर भी दस्तावेज पंजीकृत हो गया। तो उसने वर्तमान आवेदन दायर किया था निर्णय के निष्पादन और अवमानना की प्रक्रिया के लिए। उत्तरदाता संख्या 1 और 6 केवल अपनी जवाब देने लगे जिन्होंने बिक्री के तथ्य को स्वीकार किया लेकिन बताया कि उन्हें उक्त निर्णय की मौजूदगी और जानकारी का

इनकार है। निष्पादन अदालत ने उत्तरदाता संख्या 3 से 5 और 7 को बरी किया; और उत्तरदाता संख्या 1, 2 और 6 (जो अब याचक संख्या 1, 2 और 6 हैं) को निर्णय के अनुशासन के दोषी ठहराया, बिक्री को रद्द किया और याचक संख्या 6 के वेतन को संलग्न करने और मुकदमा की ज़मीन को संलग्न करने के लिए आदेश दिया, साथ ही याचक संख्या 1 और 2 की अन्य संपत्ति को भी। इससे नाराज़ होकर, निष्पादन अदालत में सभी उत्तरदाताओं ने इस संशोधन में आपत्ति जाहिर की है, हालांकि याचक संख्या 3, 4, 5 और 7 के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रार्थना को इनकार किया गया था।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21, नियम 32 के तहत प्रक्रिया निष्पादन प्रक्रियाएँ होती हैं और संपत्ति का अटैचमेंट या नागरिक जेल में रोक आदेश केवल निर्णयकर्ता के खिलाफ ही दिया जा सकता है और न किसी तृतीय पक्ष के खिलाफ। कहीं भी इस नियम के अधीन कोई विचारणीय क्षेत्र नहीं है जिसमें अनुशासन निर्णय के विरुद्ध बिक्री को रद्द किया जा सके। इसलिए, याचक संख्या 2 और 6 के खिलाफ वेतन, बेची गई ज़मीन और अन्य संपत्ति के संलग्नता का आदेश और बिक्री को रद्द करने का निर्णय पूरी तरह से अधिकारहीन होने के कारण रद्द किया जाना चाहिए।

3. जितना कि निर्णयदाता दोषी के संबंध में बात है, उसको नागरिक जेल में रोकने या उसकी संपत्ति को संलग्न करने की आदेश दिया जा सकता है, लेकिन यह भी केवल निर्णय के प्रवर्तन के लिए हो सकता है। जिस जमीन के संबंध में स्थायी प्रतिबंध का निर्णय दायर किया गया था, जिसमें याचक संख्या 1 को उसकी विलिनी की रोकथाम की गई थी, वह बाद में बेच दी गई है। इसलिए, निर्णय के प्रवर्तन को संलग्न करने के लिए न तो निर्णयदाता की संपत्ति को संलग्न करके संदेशन किया जा सकता है और न ही उसे नागरिक जेल में बंद किया जा सकता है। नियम 32 के तहत की प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं है निर्णयदाता को निर्णय के अनुशासन के लिए सज़ा देना। अगर निर्णयदाता अपने आप

को निर्णय का पालन करने योग्य नहीं बनाता है, तो उसके खिलाफ न्यायालयों के अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन निर्णयदाता को सज़ा के रूप में नियम 32 के तहत कोई कार्रवाई नहीं ली जा सकती है।

4. चाहे तो तर्क के लिए स्वीकार किया जाए कि निर्णयदाता की संपत्ति को संलग्न किया जा सकता था या उसे नागरिक जेल में बंद किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्य इस तरह के कदम को अपनाने का कोई विचार भी नहीं समर्थन करते। निर्णयदाता ने प्रतिबंध के लिए अनुचितता की दलील से याचक संख्या 1 को भूमि की विलिनी से रोका था क्योंकि उसके पक्ष में बिक्री के समझौते थे। वह बिक्री का समझौता तीन साल के भीतर विशेष प्रदर्शन के माध्यम से अनुशंसित किया जा सकता है। हालांकि, उस समझौते के प्रवर्तन के लिए कोई मुकदमा नहीं दायर किया गया है। इसलिए, निर्णयदाता के पास बिक्री के विषय में भूमि के संबंध में भी कोई अभिकर्तावादी दावा नहीं है। संज्ञानार्थ संकट के धारा 41(h) के प्रावधानों का भंग होते हुए भी प्रतिबंध का निर्णय दिया गया था, जो विशेष प्रदर्शन अधिनियम की धारा 41(h) जो की यह विशेष प्रदर्शन अधिनियम के अनुसार किसी अन्य सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित रूप से विपरीत प्राप्त किया जा सकता है, उस स्थिति में निषेध किया जा सकता है। प्रतिक्रियाता के लिए सही और एकमात्र प्रभावी उपाय विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करना था। अगर उसे समझौते के भाग में प्रदर्शन में डाल दिया गया होता, तो उसे संवादी प्रतिरोध का निर्णय चाहते हुए उस प्रदर्शन को बचाने का संभावना था। समझौते के भाग में प्रदर्शन के अभाव में, संपत्ति के स्वामी को भविष्य में जमीन को हरगिज़ नहीं बेचने से रोकने के लिए स्थायी प्रतिबंध नहीं दिया जा सकता। इसलिए, निर्णयदाता के पास याचक संख्या 1 के खिलाफ निर्णय को लागू करने का कोई सशेष अधिकार नहीं है।

5. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के कारण, इस याचिका को मंजूरी दी जाती है और विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। कोई लागत नहीं।

एस. सी. के.

आर. एन. मित्तल और एम. एम. पंच्ही, न्यायाधीशों के समक्ष

रणबीर सिंह

याचिकाकर्ता

विरुद्ध

थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला और दूसरा

–प्रतिवादी

सिविल रिट पेटीशन संख्या 4478 of 1986.

मई 15, 1987

भारतीय संविधान, 1950–धारा 226–पेशेवर पाठ्यक्रम में प्रवेश–खेल कैटेगरी–उच्च ग्रेड खेल प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवार का चयन किसी अन्य उम्मीदवार के तुलना में अधिकतम सूची में कम होने का दावा–क्या उसे सिर्फ बेहतर खेल प्रमाणपत्र के आधार पर ही प्रवेश के लिए बेहतर दावा होता है–सम्पूर्ण मेरिट–क्या प्रवेश के लिए उचित मापदंड है।

निर्णय, कॉलेज में प्रवेश के लिए खिलाड़ियों के आपसी मैरिट को निर्धारित करने के लिए उन्हें उनके खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्रों के आधार पर 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत अंक जोड़कर वजन दिया जाता है। इस प्रकार, उम्मीदवारों के मैरिट की निर्धारण करते समय, उन्हें खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्रों का लाभ प्रदान किया जाता है और उस मैरिट के आधार पर, उन्हें कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। इस क्लॉज में कहीं भी यह नहीं उल्लेख किया गया है कि उस खिलाड़ी को प्राथमिकता दी

जानी चाहिए जिसके पास उच्च ग्रेड खेल प्रमाण पत्र है, ताकि वह कॉलेज में प्रवेश के लिए उससे बेहतर हो।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा